कार्यालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सुलतानपुर।
विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या–1324/30–03–2019 दिनांक–26–07–2019 एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या–15385/2022 एडमिन जी0–1/ इलाहाबाद दिनांकित–30.11.2022 एवं पत्रांक संख्या–15907/2022 एडमिन जी0–1 सेक्शन इलाहाबाद दिनांकित 12 दिसम्बर, 2022 तथा परिपत्र संख्या–14 एडमिन डी0 सेक्शन दिनांकित– 15.10.2022 के अन्तर्गत मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सुलतानपुर में निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहायक लेखाकार की नियुक्ति की जानी है।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सुलतानपुर में सहायक लेखाकार का पद रिक्त है जिसके सापेक्ष लेखाकार/ सहायक लेखाकार पद से सेवानिवृत्त ऐसे कर्मचारियों की पुर्ननियुक्ति की जानी है जिन्होंने लेखा अनुभाग/एकाउण्टस् का कार्य किया है।

अतः उपरोक्त परिपत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

शर्त एवं प्रतिबन्ध

1. पुर्ननियुक्त की दिनांक को सेवानिवृत्त कर्मचारी की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
2. यह पुर्ननियुक्ति अवधि नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष के लिए अथवा पदोन्नति या सीधी भर्ती से उक्त रिक्तियों के भरे जाने तक अथवा पुर्ननियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी की आयु 65 वर्ष प्राप्त कर लेने, जो पहले हो, तक के लिए की जायेगी। दिनांक–31.03.2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारीगण इस सन्दर्भ में आवेदन प्रस्तुत करने के हकदार होंगे।
3. माननीय उच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेश एवं सर्कुलर के अधीन पुर्ननियुक्त कर्मचारी को परिलब्धियों के रूप में फिक्स अमाउन्ट (Fixed Amount) मु0–25,000/–रूपये धनराशि प्रदान की जायेगी।
4. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कार्य व्यवहार आचरण का निर्धारण किये जाने हेतु पूर्ववर्ती पांच वर्ष की वार्षिक गोपनीय प्रवृष्टि की प्रति आवेदन पत्र के साथ स्वः हस्ताक्षरित कर संलग्न करें।
5. सेवानिवृत्त कर्मचारी आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र दाखिल करें कि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक वाद लम्बित नहीं है और न ही किसी आपराधिक मामले में उन्हें दाण्डित किया गया है।
6. सेवानिवृत्त कर्मचारी अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में तैयार कर दिनांक–22.04.2025 सांय 04:00 बजे तक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सुलतानपुर के कार्यालय में जरिये डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करा सकते है। निर्धारित दिनांक व समय के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. पुर्ननियुक्त की प्रक्रिया पर अन्तिम निर्णय करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सुलतानपुर को प्राप्त होगा।

8. इस विज्ञप्ति की सूचना जनपद न्यायालय एवं बाह्य न्यायालय सुलतानपुर,पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सुलतानपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाये तथा जनपद न्यायालय, सुलतानपुर की अधिकृत बेवसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश को पत्र प्रेषित किया जाये। इस विज्ञप्ति को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अधिकृत बेवसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को पत्र प्रेषित किया जाये।

11-04-2025

दिनांक—11.04.2025

(डा0 लक्ष्मी कान्त राठौर)
अध्यक्ष / पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
सुलतानपुर।

सहायक लेखाकार पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

पासपोर्ट साइज का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम फोटोग्राफ चस्पा करें

1— आवेदक का नाम

2— पिता/पति का नाम

3— जन्मतिथि

4— आवेदन के दिनांक को आयु

5— अन्तिम धारित पद एवं वेतनमान

6— सेवानिवृत्त का दिनांक

7— स्थाई पता

8— पत्राचार का पता

9— ई—मेल

10— मोबाइल नम्बर

11— आवेदक की पूर्ववर्ती 05 वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का विवरण
(स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करें)

दिनांकः (आवेदक के हस्ताक्षर)

घोषणा—पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ और दिये जाने वाले शासकीय कार्य को करने में सक्षम हूँ। मैंने आवेदन संबंधी सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अवलोकन कर लिया है, जो मुझे स्वीकार है। आवेदन में अंकित समस्त विवरण तथा संलग्नक सही एवं सत्य है तथा मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि कोई सूचना गलत या झूंठी पाई जाती है, तो उसका पूर्ण दायित्व मेरा होगा और इस सम्बन्ध में मेरे विरूद्ध की गई कोई कार्यवाही मुझे स्वीकार होगी।

दिनांकः (आवेदक के हस्ताक्षर)